भा.कृ.अनु.प.– केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान,
अमरावती रोड, नागपुर – 440033

नींबू फलों कि नीलामी सूचना सं. 04/2025–26

फा.न.भंडार नीबूफलों कि नीलामी/2025–26 /1976 दिनांक: 20/08/2025 26

केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर मे स्थित ॲसिड लाईम फ्रुट्स (नींबू) **ब्लाक नं. 101, 102, 103,105, 112ए, 127ए, 123, 134, 207, 210, 211, 212 और 213** इत्यादी में स्थित पौधों पर लगे नींबू फलों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 29.08.2025 को की जायेगी, इस संबंध में इच्छुक ठेकेदारों को खरीददारी हेतु कीमत को दिनांक 29.08.2025 को लिफाफे में भरकर रू. 5,000/- की सुरक्षित धनराशी के साथ (ई.एम.डी.) डी.डी. ICAR Unit CCRI, Nagpur के नाम दोपहर 2.00 बजे बंद लिफाफे में आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. आफिस में जमा करनी होगी। जिसे दोपहर 2.00 बजे के बाद ठेकेदारों के सामने खोला जायेगा।

नींबू फलों कि नीलामी निम्नलिखित नियमों व शर्तो के आधार पर होगी।

1 नींबू के **ब्लाक नं. 101, 102, 103,105, 112ए, 127ए, 123, 134, 207, 210, 211, 212 और 213** में स्थित पौधों में लगे नींबू के फलों की नीलामी एक साथ होगी। कोटेशन भरने वाले ठेकेदार को रू. 5,000/- (रू. पॉच हजार रूपये मात्र) सुरक्षित धन राशि का डी.डी. आई. सी.ए.आर. यूनीट सी.सी.आर आई. नागपुर के नाम बना कर जमा करना होगा। संस्थान द्वारा रखी गई निर्धारित धनराशि से सबसे अधिक जिस व्यक्ति/फर्म की बोली होगी उसे 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल संस्थान के खाते में आनलाईन जमा करनी होगी। शेष धनराशी तीन दिन के अंदर जमा करनी होगी अन्यथा उसकी जमानत राशी जब्त कर ली जाएगी।

2 **नींबू फल तोड़ने की अनुमति पूरी राशि जमा करने पर ही दि जायेगी** तथा इसके पहले आई.सी.ए.आर.–.सी.सीआर.आई. से, उसे नीलाम किए गई कोई भी नीबू फल ले जाने की अनुमती नहीं दी जायेंगी।

3 नीलाम किये गये नींबू फलों को **ठेकेदार द्वारा 28/11/2025 तक उसे अपने श्रमिकों से तोडना होगा।** यदि ठेकेदार निर्धारित समय में नींबू के फलों को आई.सी.ए.आर.–सी.सी. आर.आई. से ले जाने में असमर्थ रहता है और निदेशक महोद्य उसे अनुमति नही देते तो वह फलों को नहीं ले जा सकेंगा।

4 नीलामी किये गये नीबू के फलों को आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. से बाहर ले जाने हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं फार्म अधिक्षक एवं सहायक फार्म प्रभारी की सहायता से गेट पास जारी की जायेगी।

5 ठेकेदार नींबू के फलों को चोरी से बचाने के उपाय स्वयं करेगा। संस्थान इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।

6 फार्म पर बिक्री काउंटर नहीं खोलने दिया जायेगा।

7 शनिवार, रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन नींबू फलों को तोडने दिया जाएगा लेकिन उन्हे बाहर ले जाने की अनुमती नहीं दी जायेगीं ।

8 संस्थान के निदेशक महोद्य को नीलामी से संबंधित समस्त निर्णय लेने एवं किसी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

9 नीलामी के समय सभी इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपना पुरा पता आधार कार्ड के साथ अपना मोबाईल नम्बर भी अंकित कराये।

10 नीलामी के समय परिस्थिती को ध्यान में रखकर निदेशक महोद्य को शर्तो में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार होगा।

11 खराब तथा नीचे गिरे हुये नीबू फल स्वयं ठेकेदार को हटाना होगा।

12 **ठेकेदार को बयाना (ई.एम.डी.) राशि वापस लेने के लिए फार्म अधिक्षक से ना हरकत प्रमाणपत्र लेकर कार्यालय में जमा करना होगा ।**

13 काम करते समय अगर कोई लेबर पेड से गिर जाता है तथा किसी व्यक्ती को सांप काट ले, तो किसी भी आपत्ती के लिए कार्यालय जिम्मेदार नही रहेगा।

(हस्ताक्षर)

प्र. प्रशासनिक अधिकारी
आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर

प्रतिलिपीः

1 डॉ. नरेश मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, फार्म प्रभारी एंव सतर्कता अधिकारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
2 डॉ. दर्शन कदम, वैज्ञानिक एवं सहायक फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
3 श्री. वी.पी. भालाधरे, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. नागपुर।
4 डॉ. सुनील कुमार यु.टी., मुख्य तकनिकी अधिकारी तथा इस्टेट ऑफिसर (सुरक्षा अधिकारी), आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
5 वित्त एवं लेखा अधिकारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
6 कॅश ॲण्ड बिल सेक्शन, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
7 नॅशनल प्रोटेक्टीव सिक्यूरिटी सर्विसेस, 102 दिपीका अरीहन्त कोहीनूर अपार्टमेंन्ट, त्रिमुर्ति नगर, नागपुर 440022।
8 श्री डी. डी. बॅनर्जी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, उपरोक्त नीलामी सुचना संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9 निजी सहायक दवारा निदेशक महोदय को प्रति जानकारी हेतु
10 सूचना पटल ऑफिस/फार्म हाऊस आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. नागपुर।